आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 96/13–14

मो०रसीद टेलर वनाम् मो० अरमान आलम उर्फ जुनैद आलम

आदेश

16.01.14

आवेदक मो० रसीद टेलर पिता स्व० शदरू टेलर ग्राम भदासी थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का नापी कराकर बॅटवारा करने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम भदासी थाना वो जिला अरवल मे अवस्थित है,निम्न हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
504 नया 287 पुराना	1217 840	01 डी०	उत्तर– सुरेन्द्र रजक दक्षिण– रास्ता पूरब– रास्ता पश्चिम–चंदेश्वर रजक

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है,और खतियान में वादी के पूर्वज का नाम दर्ज है जो नया और पुराना दोनों का है। परन्तु आवेदक द्वारा पुराना सर्वे खतियान की प्रति या अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज दाखिल नही किया गया है। साथ ही आवेदक द्वारा यह भी नही बताया गया है कि खतियानी रैयत कौन है और आवेदक का उनसे क्या संबंध है। नया खतियान फाईनल नही है,उसकी विधिक मान्यता शून्य है। अतः आवेदक को कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

16.01

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

16.01

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।